रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No D.(D.)-72

SECRETARIAT LIBRARY 26 MA... INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 1978/वैशाख 25, 1900

No. 90] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 1978/VAISAKHA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना स० 31-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय —आयात-निर्यात क्रियाविधि हैण्ड बुक, 1978-79 मे सशोधन

फा० स आई० पी०सी०/63/36/78 —वाणिज्य विभाग के सार्वजनिक सूचना स० 29-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78 दिनाक 4 मई, 1978 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात क्रियाविधि हैण्ड बुक, 1978-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 निम्नलिखित सशोधन उक्त हैण्ड बुक मे उचित स्थानो पर किए गए समझे जाएगे —

क्रम सं०	हैण्ड बुक की पृ०स०	सदर्भ	सशोधन
1	2	3	4
1	2	अध्याय 1 पैरा 8	वर्तमान पैरा को 8(1)" के रूप मे पढ़े जाने के लिए पुन सख्याकित किया जाएगा।
2	2	अध्याय 1	पुन सख्याकित वर्तमान पैरा 8(1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा — (2) सम्बद्ध (राज्य) उद्योग निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी समिति या वास्तविक उपयोक्ताओ की सस्था अपने सदस्यो की ओर से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे माल का आयात कर सकती है जिनका स्वयं आयात करने के लिए ये सदस्य पात्र हैं। यह सुविधा केवल उन (भाग लेने वाले) सदस्यो को प्राप्त होगी जो मुख्य रूप से समरूप कार्य-कलापो मे लगे हुए हैं। सम्बद्ध सहकारी समिति या सस्था विभिन्न राज्यो/सघ शासित क्षेत्रो मे स्थित अपने सदस्यो के लिए पृथक-पृथक आदेश करे, धन भेजे साख-पत्र खोले, सभरण का प्रबन्ध करे अथवा सीमा शुल्क कार्यालय से माल की निकासी करे। रुपया भेजते समय/सीमा शुल्क कार्यालय से माल की निकासी करवाते समय सम्बद्ध सहकारी समिति/सस्था परिशिष्ट 13 मे दर्शाए गए प्रपत्र "क" के साथ, प्रविष्टि

1	2	3	4
			बिल, (भाग लेने वाले सदस्यों) के ब्यौरे नाम एवं पते, विनिर्मित अन्तिम उत्पाद, प्रत्येक सदस्य के लिए मदवार माल का मूल्य एवं तत्संबंधी कुल मूल्यों को दर्शाते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न करेगा। इन सभी मामलों में सम्बद्ध सहकारी समिति/संस्था द्वारा आयातित माल का वितरण लाभग्राही वास्तविक उपयोक्ताओं को किया जाएगा। इन सभी आयातों एवं वितरणों का लेखा (रजिस्टर के रूप में) रखा जाना चाहिए और यह रजिस्टर लाइसेंस एवं प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा, जांच के लिए हर समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3.	20	अध्याय 8	पैरा 184 के नीचे निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा :— "मोल्डस एवं डाइज। 184-क उपर्युक्त पैरा (181)-184 में किए गए प्रावधान मोल्डस एवं डाइज के आयात के लिए भी लागू होंगे।"

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE No. 31—ITC(PN)/78

New Delhi, the 15th May, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Amendments to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79.

F. No. I PC. 63/36/78 :—Attention is invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79, published under the Department of Commerce Public Notice No. 29-ITC(PN)/78 dated the 4th May, 1978.

2. The following amendments shall be deemed to have been made at the appropriate places in the said Hand Book :—

S. No.	Page No. of the Hand Book	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	2	Chapter I Para 8	The existing para shall be renumbered to read as "8(1)".
2.	2	Chapter I	After the existing para 8(1) as renumbered, the following sub-para shall be added :— "(2) A Co-operative Society or an Association of Actual users, which has been recognised by the concerned (State) Director of Industries may, on behalf of its members, effect imports under an Open General Licence, of goods which such members are themselves eligible to import. This facility will be available only in cases where the (participating) members are engaged in mainly identical activities. The concerned Co-operative Society or Association may place orders, effect remittances, open Letters of Credit, arrange movement or clear the goods through the Customs separately in respect of its members situated in different States/Union Territories. While effecting remittance/clearing the goods through the Customs, the concerned Co-operative Society/Association shall attach to the Form "A" appearing in Appendix 13/the Bill of Entry, a statement giving the particulars of the (participating) members their names and addresses, the end-products manufactured the itemwise value of goods for each member and the respective aggregate values. In all such cases, the imported goods shall be delivered by the concerned Co-operative Society/Association to the beneficiary Actual Users. An account (in the form of a Register) should be kept of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the licensing and the sponsoring authorities at all times.
3.	20	Chapter VIII	The following para under para 184 shall be inserted :— "MOULDS AND DIES. 184-A. The provisions made Paras 181-184 above shall also be applicable to the import of Moulds and Dies."

सार्वजनिक सूचना सं० 32—आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय:—अप्रैल 1978—मार्च 1979 की आयात नीति में संशोधन।

फा० सं० आई० पी० सी०/3/15/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 22—आई टी सी/(पी एन)/78 दिनांक 2 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित 1978-79 के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन उक्त आयात नीति में उचित स्थानों में किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात नीति की पृ० सं०	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10	अध्याय 10 पैरा 72	वर्तमान पैरा को "72(1)" के रूप में पढ़ने के लिए पुनः संख्यांकित किया जाएगा।
2	10	अध्याय 10	पुनः संख्यांकित विद्यमान उप-पैरा 72 (1) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— "(2) खुले सामान्य लाइसेंस में दर्शाए गए मदों का पूर्वोक्त सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण भी हाजिर माल में से सुपुर्दगी के लिए अथवा पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं की विशिष्ट अनुरोध के मद्दे आयात कर सकते हैं। (3) उप-पैरा (1) में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरणों को भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को बिक्री के लिए कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों अथवा पैरा 68 में न दर्शाई गई अन्य मदों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं।"
3.	34	परिशिष्ट 2, भाग "क"—(1) मशीन औजार मद सं० 1	केम-शेफ्ट, क्रैन्क शैफ्ट, टर्निंग लेथ के लिए "(क) कैम शेफ्टटर्निंग लैथ। (ख) कैंक शेफ्ट टर्निंग लैथ "पढ़ें।
4.	34	परिशिष्ट 2, भाग-क (1) मशीन औजार, मद सं० 17, 18, 19	विद्यमान विवरण के "विशिष्टिकृत" शब्द को "आटोमेटिक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	34	परिशिष्ट 2, भाग "क" (1) मशीन औजार मद सं० 20	विद्यमान विवरण से "विशिष्टिकृत" शब्द को हटाया जाएगा।
6.	34	परिशिष्ट 2, भाग "क" (2) प्रेस मद सं० 2	विद्यमान विवरण के लिए "रिजिड और कोलेपसिबल ट्यूब्स के विनिर्माण के लिए इम्पैक्ट एक्स-ट्रूजन प्रेमजे पढ़ें।
7.	34	परिशिष्ट 2, भाग "क" (3) टैस्टिंग मशीन, मद सं० 5	विद्यमान विवरण के लिए "गैरलोह धातु की बनी हुई ट्रिमिंग, थरेडिंग, रौलिंग बिडीग और स्कुबिंग हालो आडीज के लिए आटोमेटिक रिचिड ट्रिमिंग मशीन" पढ़ा जाए।
8.	34	परिशिष्ट 2, भाग "क"—(3) टेस्टिंग मशीन मद सं० 6।	विद्यमान विवरण के लिए "आटोमेटिक मल्टी स्टेशन बोल्ट बनाने वाली मशीन जिसमें स्टेशनों के मध्य आटोमेटिक ट्रांसफर मैकेन्जिम के साथ फीडिंग, अपसैटिंग और थरेडिंग मैकेन्जिम शामिल है" पढ़ें।
9.	46	परिशिष्ट 3, मद सं 582	"आन्तरिक" शब्द को "का" और "व्यास" के बीच में शामिल किया जाएगा।
10.	63	परिशिष्ट 5 मद स० 335	"आंतरिक" शब्द को "का" और "व्यास" के बीच में शामिल किया जाएगा।
11.	65	परिशिष्ट 5, मद सं० 449	विद्यमान विवरण के लिए "200 सं० से अधिक साइज वाले सिलिकान कार्बाइड और कार्बन बाडीज ग्रेफाइट घड़िये" पढ़ें।
12.	66	परिशिष्ट 5	निम्नलिखित मद को नई प्रविष्टि के रूप में जोड़ा जाए "479 क वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स"
13.	78	परिशिष्ट 10—खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को नियंत्रित करने वाली शर्तें	शर्त सं० (1) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य निविष्ट किया जाएगा :— "पूंजीगत माल के मामले में पात्र वास्तविक उपयोक्ता मुख्य उपस्कर के साथ इसके उपसाधित्र और फालतू सामान (चाहे अनुमेय या गैर-अनुमेय किस्में हों) का आयात मुख्य उपस्कर के मूल्य के 5% की कुल सीमा तक कर सकता है।"

PUBLIC NOTICE NO : 32—ITC(PN)/78

New Delhi, the 15th May, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Amendments to the Import Policy April, 1978—March 1979

F. No. IPC/3/15/78—Attention is invited to the Import Policy 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice, No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd. April, 1978.

2. The following amendments shall deemed to have been made at the appropriate places in the said Import Policy :—

S. No.	Page No. of the Import Policy	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10	Chapter 10 Para 72	The existing para shall be re-numbered to read as '72(i).
2.	10	Chapter 10	After the existing sub-para 72(1) as renumbered, the following sub-para shall be added :— "(2) The Public Sector Agencies referred to above may also import, for off-the-shelf delivery of against specific requests of the eligible Actual users, items placed on Open General Licence. (3) The Public Sector Agencies referred to in Sub-para (1) may also be granted licences for the import of Capital Goods, raw materials, components and spares or any items not covered by para 68, for sale to eligible Actual Users, according to such conditions and terms as may be laid down by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi."
3.	34	Appendix 2, Part 'A'— (1) Machine Tools item No. 1	For—Cam-shaft, crank shaft, Turning Lathe. Read—"(a) Cam-shaft—Turning Lathe. (b) Crank-shaft Turning Lathe."
4.	34	Appendix 2, Part A— (1) Machine Tools, Items Nos. 17, 18, 19	From the existing description, the word "specialized" shall be substituted by "Automatic."
5.	34	Appendix 2, Part 'A' (1) Machine Tools, Item No. 20	From the existing description, the word "specialized" shall be deteled.
6.	34	Appendix 2, Part 'A'— (2) Presses, Item No. 2	For— the existing description. Read —"Impact Extrusion Presses for manufacture of rigid and collapsible tubes."
7.	34	Appendix 2, Part 'A'— (3) Testing Machines, Item No. 5.	For —the existing description, Read —"Automatic Rigid Can Trimming Machine for trimming, threading, rolling, beading and knurling hollow bodies of non-ferrous metals".
8.	34	Appendix 2, Part 'A'— (3) Testing Machines, Item No. 6	For —The existing description, Read —"Automatic Multi-station Bolt making machine comprising of feeding, upsetting and threading mechanism with automatic transfer mechanism between the stations."
9.	46	Appendix 3, Item No. 582	The word "internal" shall be inserted between the words 'of' and 'diameter'.
10.	63	Appendix 5, Item No. 335	The word 'internal' shall be inserted between the words 'of' and 'diameter'.
11.	65	Appendix 5, Item No. 449	For —the existing description, Read —"Silicon carbide and carbon bonded graphite crucibles sizes over No. 200."
12.	66	Appendix 5	The following item shall be added as a new entry :— "479 A. Welding electrodes."
13.	78	Appendix 10— Conditions governing imports under Open General Licence.	The following sentence shall be inserted at the end of the condition No. (1) :— "In the case of Capital Goods, the eligible Actual User may import along with the main equipment its accessories and spares (whether of the permissible or non-permissible types) upto an aggregate limit of 5% of the value of the main equipment.

सार्वजनिक सूचना सं० 33-आई०टी०सी० (पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय : आयात-नीति 1978-79 अन्तर्वर्ती व्यवस्थाएं

मि० सं० आई० पी० सी० 63/37/78—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 22-आई०टी०पी०सी० (पी०एन०)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात-नीति 1978-79 में अध्याय 21 अन्तर्वर्ती व्यवस्थाओं में दिए गए प्रावधानो की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त अध्याय 21 के पैरा 207 ने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक 1977-78 के पैरा 88 के अन्तर्गत और अप्रैल 1977—मार्च 1978 की आयात-नीति वा० 1 के पैरा 73 के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को उपलब्ध सुविधाओं को वापस ले लिया है। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि जहां तक उपर्युक्त पैरा 73 के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधा का संबंध है यह लाभ लाइसेंस के मूल्य के 5% तक उन्ही शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जारी रहेगा जो उक्त पैरा 73 के अनुसार पहले 10% के लिए लागू थे। लेकिन आयातो की अनुमति 3 अप्रैल 1978 को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा किए गए 5% से अधिक परन्तु 10% तक पक्के सौदो में शामिल सीमा तक दी जा सकती है। इस सार्वजनिक सूचना में इसके बाद अपरिवर्तनीय साखपत्रो के संबंध में शर्तों से छूट से संबंधित व्यवस्थाएं इन मामलों में भी लागू होंगी।

3. उक्त अध्याय 21 की कंडिका 207, 208, 209 और 210 उक्त कंडिकाओं में निहित प्रतिबन्धो से और 3 अप्रैल 1978 को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा किए गए पक्के सौदों

से छूट प्रदान करती है। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि इस संबंध में निम्नलिखित ढील प्रदान की जाए और वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा प्राप्त किए गए लाइसेंसों के मदे निम्नलिखित किस्म के मामलों में 3 अप्रैल 1978 को या इससे पूर्व किए गए अन्य पक्के वायदों को स्वीकार किया जाए।

(i) इन वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक उपयोक्ता या आर०ई०पी० लाइसेंसों के मदे संबद्ध मद(मदों) के लिए उनके संभरण के सुस्थापित स्रोत(तों) के साथ किए गए पक्के वायदों को स्वीकार करने के लिए आयातों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। ऐसे स्रोत वे होने चाहिएं जहां से पूर्व की अवधियों में वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयात किए गए थे,

[(ii) जहां 3 अप्रैल 1978 से पूर्व आंशिक रूप में संभरण प्राप्त किए गए थे वहां उसी संविदा के मदे आगामी संभरणों के लिए भी स्वीकृति दी जा सकती है;

(iii) जहां विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन आस्थागित भुगतान व्यवस्थाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तो उनके मदे भी पक्के वायदे पूरे किए जा सकते हैं;

(iv) उक्त अध्याय की कंडिका 21 में प्रदर्शित छूट व्यवस्था सं० (i) (iii), एवं, (iv) में उल्लिखित किस्म के मामले।

4 उन आर० ई० पी० लाइसेंसों अर्थात् जो वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हों और जो उक्त अध्याय की कंडिका 209 के अन्तर्गत आते हों के मामले में पूर्व की कंडिकाओं में वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए यथा व्यवस्थित वही ढील प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि आयात के लिए मदें विशेष रूप से वे मदे है जिनका लाइसेंस धारक पूर्व की अवधियों में उन्हीं सुस्थापित स्रोत (तों) से आयात करते रहे थे।

5. कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां लाइसेंसधारक ने 3 अप्रैल 1978 को या इससे पूर्व समुद्र पार सभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए अपने बैंक को अनुदेश दिए थे किन्तु वास्तव में सम्मिलित बैंक प्रक्रिया के कारण उस तारीख तक संबद्ध साखपत्र नहीं खोले जा सके। ऐसे सभी मामलों में पक्के वायदों को स्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते कि (i) अपरिवर्तनीय साख-पत्र, वास्तव में 10 अप्रैल 1978 को या इससे पूर्व खोला गया था; और

(ii) लाइसेंसधारक का संबद्ध अनुसूचित बैंक इस संबंध में स्पष्ट रूप से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि वास्तव में उसे लाइसेंसधारी द्वारा संबद्ध अनुदेश 3 अप्रैल, 1978 तक प्राप्त हुए थे किन्तु बैंक की प्रक्रिया के कारण ही विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा 10 अप्रैल 1978 तक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोला गया था।

का०वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

PUBLIC NOTICE No. 33-ITC(PN)/78
New Delhi, the 15th May, 1978
IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Import Policy, 1978-79 Transitional arrangements.

F. No. 63/37/78 :—Attention is invited to the provisions made in Chapter 21 'Transitional Arrangements' in the Import Policy, 1978-79, published in the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978.

2. Paragraph 207 in the said Chapter 21 has withdrawn the facilities available to Actual Users under paragraph 88 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1977-78 and para 73 of Volume I of the Import Policy for April '77-March '78. On a review of the position, it has been decided that, so far as the facility available under para 73 above is concerned, the benefit would continue upto 5% of the value of the licence as against the earlier 10%—subject nonetheless to the same conditions and restrictions, as were applicable in terms of the said para 73. Imports may, however, be allowed to the extent covered by firm commitments above 5% but upto 10% made by irrevocable letters of credit opened on or before 3rd April, 1978. The provisions made hereafter in this public notice, with regard to the relaxation of the conditions regading irrevocable letters of credit will also apply in these cases.

3. Paragraphs 207, 208, 209 and 210 of the said Chapter 21 exempt from the operation of the restrictions contained in the said paragraphs, such firm commitments as had been made by irrevocable letters of credit opened on or before 3rd April, 1978. On a review of the position, it has been decided to make the following relaxations in this regard and to accept other firm commitments made on or before 3rd April, 1978, in cases of the following types against licences held by Actual Users (Industrial) :—

(i) Imports may be permitted against A.U. or REP licences held by such Actual Users to honour firm commitments entered into with their established source(s) of supply for the item(s) concerned. Such sources should be those from whom imports had been made by the Actual User concerned in the earlier periods;

(ii) Where part supplies had been received prior to 3rd April, 1978, further supplies against the same contract may also be allowed;

(iii) Where deferred payment arrangements have been got approved under the Foreign Exchange Regulations Act, firm commitments against them may also be honoured;

(iv) Cases of the types referred to in the exemption provisions Nos. (i), (iii) and (iv) of para 201 of the said Chapter 21.

4. In the case of other REP licences i.e. those not held by the Actual Users (Industrial), and covered by paragraph 209 of the said Chapter 21, the same relaxation, as provided for Actual Users (Industrial), in the preceding paragraph may be extended, provided the items for import are specifically those which the particular licence-holder had been importing from the same "established" source(s) in the earlier periods.

5. There may be cases where instructions had been given on or before 3rd April, 1978 by the licence-holder to his Bank to open irrevocable Letter of Credit in favour of the overse as supplier, but, because of the banking procedures involved, the concerned Letter of Credit could, not, in fact, be opened by that date. In all such cases, firm commitments may be honoured, provided (i) the irrevocable letter of credit was, in fact, opened on or before the 10th April, 1978 and (ii) the concerned Scheduled Bank of the licence-holder furnishes a clear certificate to the effect that it had indeed received the connected instructions from the licence-holder by 3rd April, 1978, but that the banking procedures only resulted in the irrevocable letter of credit being opened by the 10th April, 1978, by the concerned authorised dealer in foreign exchange.

K.V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978